

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)

27/01/17
18-9-17

मध्य प्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 01/06/01/30081/15

यह प्रमाणित किया जाता है कि युवा उदय शिक्षा समिति बैतूल समिति जो c/o श्री सुनिल उदयपुरे म.नं. ९ उदय परिसर सदर तहसील बैतूल जिला बैतूल में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 16 Sep 2015 को पंजीयित की गई है।




दिनांक 16 Sep 2015

Mamulya
मंगला मुखिया
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार



1. सोसायटी का नाम युवा उदय शिक्षा समिति बैतूल होगा।
2. सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक c/o श्री सुनिल उदयपुरे म.नं. ९ उदय परिसर सदर 460001 तहसील बैतूल जिला बैतूल मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3. सोसायटी का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश
4. 3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-

1. शिक्षा एवं तकनीक शिक्षा के प्रसार हेतु शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना
2. समाज में साक्षरता एवं शिक्षा के बहुमुखी विकास एवं सामूहिक और बहुदेशीय विकास में सक्रीय भागीदारी करते हुए सामान्य से लेकर उच्चतम शिक्षा तक की व्यवस्था करना
3. समिति के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी के सम्पूर्ण विकास-शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवसायिक, तकनीकी, सामाजिक, प्रशासकीय एवं नैतिक मूल्यों की संज्ञानता की व्यवस्था करना
4. शिक्षा को माध्यम बनाते हुए दलित, पिछड़े अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास की गंगा बहाना ताकि शिक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी सहज सुलभ हो सके
5. प्राथमिक एवं प्रोण शिक्षा पर आधारित शासकीय अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भागीदारी समाज को शिक्षा के महत्त्व से परिचित कराना
6. वो सभी शिक्षा सम्बन्धी कार्य जो समिति द्वारा संचालित शैक्षणिक केन्द्रों में अध्यनरत छात्र-छात्राओं, शिक्षाकर्मियों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक हों एवं केन्द्र राज्य शासन, शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित एवं मान्य हों
7. राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान देना
8. राष्ट्रीय ओपन स्कूल (NIOS) द्वारा संचालित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का सञ्चालन करना व प्रशिक्षण देना
9. संस्था द्वारा प्राथमिक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना। चिकित्सा महाविद्यालय, दन्त चिकित्सा कॉलेज पेरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ट्रामा सेंटर, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फॉर्मसी कॉलेज, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट

ना होगी।

संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:-

1. प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2. वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर।
3. वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

10. (अ) साधारण सभा- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:-

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
- (ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रों को स्वीकृत करना।

54280102663805092015

प्रकारिणी का गठन- नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निर्म्माकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।
(1) अध्यक्ष - 1, (2) उपाध्यक्ष - 1, (3) सचिव - 1, (4) कोषाध्यक्ष - 1, (5) संयुक्त सचिव - 1, (6) सदस्य - 2

14.	ग्रन्थकारिणी के अधिकार व कर्तव्य-
-----	-----------------------------------

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

15. अध्यक्ष के अधिकार- अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

17	सचिव(मंत्री) के अधिकार-
----	-------------------------

(क) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाई और

प्राकल्प - सात
(नियम 11 देखिये)

2022-11-2018

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन
शासीनिकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र (प्रोफार्मा)

1. संस्था का नाम व पूरा पता : युवा उदय शिक्षा समिति
श्री सुनील उदयपुरे सदर, तहसील बैतूल, जिला बैतूल
म0प्र0
2. रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं दिनांक : 01/06/01/30081/15, दि. 16/09/2015
3. साधारण निकाय के वार्षिक : 25/09/2018
सम्मिलन की तारीख
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल तारीख 15/05/2018 से तारीख
14/05/2021 तक

वर्तमान कार्यकारिणी सूची वर्ष 2018

क.	नाम पिता/पति का नाम	पूर्ण पता	पद	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री सुनील उदयपुरे/ श्री गयाप्रसाद उदयपुरे	0, महावीर वार्ड, टिकारी बैतूल, मप्र	अध्यक्ष	व्यवसाय एवं समाज सेवा	
2.	श्री विनय अग्निहोत्री/श्री धनंजय अग्निहोत्री	प्लॉट नं. 29, नियर एल.एफ.एस. स्कूल, चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल, मप्र	उपाध्यक्ष	व्यवसाय	
3.	श्री सचिन चौधरी/श्री धनराज चौधरी	प्लॉट नं. 5 सॉई नगर, झोंगाबाई टाकली, नागपुर, महाराष्ट्र	सचिव	अशासकीय सेवा	
4.	श्रीमती मीना भर्दे/श्री शंकर राव भर्दे	प्रताप वार्ड, एच.एम.टी., वॉच फैक्टरी के सामने इटारसी रोड, टिकारी बैतूल, मप्र	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा	
5.	श्री विनोद पांडे/श्री पांडुरंग पांडे,	28, भेंडे ले आउट स्वावलम्बी नगर नागपुर महाराष्ट्र	संयुक्त सचिव	नौकरी	
6.	श्रीमती मंजू अग्निहोत्री/श्री विनय अग्निहोत्री	श्री होम्स कॉलोनी, 109, नियर एल.एफ.एस. स्कूल, चन्द्रशेखर वार्ड बैतूल, मप्र	सदस्य	व्यवसाय	
7.	श्रीमती दिप्ती भर्दे/श्री सचिन भर्दे	एच.एम.टी., वॉच फैक्टरी के सामने इटारसी रोड, टिकारी बैतूल, मप्र	सदस्य	गृहिणी	
8.	सविता पाण्डेय/श्री विनोद पांडे	28, भेंडे ले आउट स्वावलम्बी नगर नागपुर महाराष्ट्र	सदस्य	अशासकीय नौकरी	
9.	चंद्रांशु चौधरी/श्री सचिन चौधरी	प्लॉट नं. 5 सॉई नगर, झोंगाबाई टाकली, नागपुर, महाराष्ट्र	सदस्य	अशासकीय नौकरी	
10.	पल्लवी उदयपुरे/श्री सुनील उदयपुरे	महावीर वार्ड, टिकारी बैतूल, मप्र	सदस्य	गृहिणी	

अध्यक्ष
युवा उदय शिक्षा समिति

महोपाध्यक्ष
महोपाध्यक्ष
महोपाध्यक्ष

(ख) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(ग) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(घ) सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।

18. संयुक्त सचिव के अधिकार- सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. कोषाध्यक्ष के अधिकार- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।


20. बैंक खाता, सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।

21. संशोधन- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

22. विघटन- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

23. सम्पत्ति- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी।

संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित आज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अंतरित नहीं की जा सकेगी।


हस्ताक्षर

अध्यक्ष


हस्ताक्षर

सचिव



हस्ताक्षर

कोषाध्यक्ष


जो होने की दिनांक


संस्था के अध्यक्ष





अध्यक्ष



सचिव

कोषाध्यक्ष